न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3121–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–04–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 491/अपील/2009–10

.....

1–गोपाल आ0 मूलचंद
2–धन्नालाल आ0 शिवदयाल
दोनों निवासी ग्राम पालनपुर तहसील डोलरिया,
जिला होशंगाबाद

..... आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0 शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस0एस0पटेल, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 8/6/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि पटवारी द्वारा तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पालनपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 429/2 रकबा 0.680 हेक्टेयर पटटे पर सुखराम वल्द मन्नू, रूकमणी पत्नि सुखराम एवं खसरा नम्बर 429/3 रकबा 0.680 भूमि छोटेलाल बल्द छीतू, राधाबाई पत्नि छोटेलाल को प्रदत्त की गई थी, परन्तु व्यवहार न्यायालय से

स्थगन होने के कारण पटटेदारों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका । वर्तमान में व्यवहार न्यायालय द्वारा वाद निरस्त कर दिया गया है और उसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है तथा वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि पर सरस्वतीबाई पत्नी मूलचंद का कब्जा होकर आवेदक कमांक 2 कृषि कार्य कर रहे हैं, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा पटटेदारों को दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–70/08–09 दर्ज कर दिनांक 1–7–2009 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का पटटा, पटटेदारों को दिलाया जाकर प्रतिवेदन 3 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10–02–2010 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–4–13 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये प्रकरण समाप्त किया गया कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–7–09 को प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिया गया है, तब माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं था, प्रकरण कब्जा देने से संबंधित है जिसे आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है । व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 385/2009 की अद्यतन स्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः आवेदकगण तहसील न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत करें । तहसीलदार पटटेदारों को कब्जा देने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में उत्तर प्रस्तुत करें, क्योंकि तहसीलदार होशंगाबाद भी अनावेदक है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का पटटा 40–50 वर्ष पूर्व मूलचंद को दिया गया था और उसकी मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में सरस्वतीबाई का नाम दर्ज हुआ ।

शासन द्वारा उक्त नामान्तरण को निरस्त किये बगैर प्रश्नाधीन भूमि अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज की गई, जो कि अवैधानिक कार्यवाही है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 248 के प्रावधानों के अनुरूप आवेदकगण को न तो कारण बताओं सूचना पत्र दिया गया है और न ही युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन लंबित है, और माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य हे । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित किया गया है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित कर त्रुटि की गई है । अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर आवंटित की गई है और उक्त भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा आवेदकगण से लेकर पटटेदारों को सौंपने के निर्देश राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 4–7–09 को कब्जा दिये जाने का आदेश पारित किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8–7–09 को स्थगन आदेश पारित किया गया है । स्पष्ट है कि जिस दिनांक को तहसीलदार द्वारा कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है उस समय माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश अस्तित्व में नहीं था । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी व अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर